

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. 32/2017

**प्रार्थीगण-**

1. चन्दनसिंह पुत्र खेतसिंह जाति  
राजपुरोहित निवासी आसोतरा  
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2. जवाराराम पुत्र तुलसाराम जाति  
कलबी निवासी आसोतरा तहसील  
पचपदरा जिला बाड़मेर

**बनाम**

**अप्रार्थीगण -**

1. ग्राम पंचायत आसोतरा जरिये  
सरपंच ग्राम पंचायत आसोतरा
2. रोशनलाल पुत्र तोताराम फोट के  
कायम मुकाम  
2.1 राजेन्द्रसिंह पुत्र रोशनलाल  
2.2 लखनसिंह पुत्र रोशनलाल  
2.3 सोहनसिंह पुत्र रोशनलाल  
जाति जाट निवासी आसोतरा  
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज  
अधिनियम वास्ते निरस्त करने पट्टा संख्या 31 दिनांक 06.12.1975 जो  
ग्राम पंचायत मारुड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 02 रोशनलाल के पक्ष मे  
निष्पादित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री पुरुषोत्तम सोलंकी, श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्तागण प्रार्थीगण की  
ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

**निर्णय**

दिनांक : 30/07/2019

1. प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान  
पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा  
अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी पट्टा विलेख सं. 31 दिनांक 06.12.1975 को  
निरस्त करने का निवेदन किया गया है।
2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष  
मे अप्रार्थी सं. 1 सरपंच, ग्राम पंचायत आसोतरा के द्वारा ग्राम आसोतरा मे  
आबादी भूमि मे से 150 वर्गगज क्षेत्रफल के भूखण्ड सं. 31 का पट्टा दिनांक  
06.12.1975 को जारी कर आवंटित भूखण्ड पर 2 वर्ष से भीतर मकान



  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

- निर्माण करने की अवधि निर्धारित की गई। ग्राम पंचायत की ओर से यह पट्टा अनुसूचित जाति व जन जाति, कारीगरों/लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड हेतु जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जारी इस आवंटन के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया तथा निगरानीधीन रेकॉर्ड ग्राम पंचायत आसोतरा से मंगवाया गया, जिस पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत आसोतरा पंचायत समिति बालोतरा द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.02.2019 के द्वारा अवगत कराया कि उक्त पट्टा से सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय में कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना। प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि ग्राम आसोतरा के खसरा नम्बर 541 रकबा 403-10 बीघा गैर मुमकीन ओरण की भूमि आई हुई है जो आबादी के नजदीक होने की वजह से तत्कालीन सरपंच द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आलौच्य पट्टा निःशुल्क जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने के समय उक्त भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं होकर गैर मुमकीन ओरण थी जिसकी किस्म परिवर्तन कराये बिना पट्टा जारी करने का विधिवत अधिकार पंचायत को नहीं था। अप्रार्थी सं. 1 सरपंच ग्राम पंचायत आसोतरा द्वारा पंचायतीराज अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों को अनदेखा करते हुए उक्त भूमि का पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है।
5. प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 को आवंटित भूखण्ड पर आवंटन से लेकर आदिनांक तक कोई कब्जा व रहवास नहीं है। आलौच्य पट्टा विलेख पर केवल सरपंच ग्राम पंचायत आसोतरा के ही हस्ताक्षर अंकित हैं जबकि नियमानुसार ग्राम पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर भी आवश्यक होते हैं, इससे जाहिर होता है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत से उक्त पट्टे ओरण भूमि पर जारी कर दिये है। आलौच्य पट्टा विलेख की पुश्त पर अंकित विशेष नोट में 2 वर्ष के भीतर मकान निर्माण करने की शर्त अंकित की गई है जबकि आदिनांक तक उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है ऐसे में उक्त शर्त के उल्लंघन के फलस्वरूप भी पट्टा निरस्त योग्य है। अप्रार्थी



  
जिला कलेक्टर  
बाड़मेर

सं. 1 द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व आवंटित भूमि के मौका निरीक्षण की रिपोर्ट नहीं ली गई जिससे उक्त दिनांक को जारी पट्टों के नाप व पडौस भी मेल नहीं खाते हैं तथा न ही उक्त भूखण्ड की अवस्थिति मौके पर चिन्हित हो रही हैं। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा पूर्णतया फर्जी एवं विधि विरुद्ध तरीके से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ओरण भूमि पर जारी किया गया है तो निरस्त योग्य हैं।

6. अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए इसके बावजूद भी अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। विवादित भूखण्ड के वर्तमान मौका कब्जा की रिपोर्ट तहसीलदार पचपदरा से ली गई। तहसीलदार पचपदरा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.02.2019 के द्वारा अवगत कराया है कि विवादित पट्टा अन्तर्गत भूमि जरिये नामान्तरकरण सं. 613 दिनांक 30.03.1984 के द्वारा आबादी दर्ज हुई है। वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नम्बर 2936/541 रकबा 08-00 बीघा गै0मु0 आबादी दर्ज है। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का कोई रहवास या मकानात नहीं बने हुए है तथा मौके पर खाली है। विवादित आराजी उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा द्वारा कुर्क की जाकर पुलिस थाना सिवाना की रिसीवरी में रखी गई है।

7. हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में अप्रार्थी सं. 1 सरपंच, ग्राम पंचायत आसोतरा द्वारा ग्राम आसोतरा की ओरण भूमि में से भूखण्ड सं. 31 का आलौच्य पट्टा सं. 31 दिनांक 06.12.1975 को जारी किया गया है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि आलौच्य पट्टाधीन भूमि मौके पर खाली पड़ी है तथा अप्रार्थीगण सं. 2 का कोई कब्जा नहीं है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिससे प्रार्थी के अधिवक्ता के कथन ही ताईद होती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा दिनांक 06.12.1975 को जारी किया गया है जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार यह भूमि जरिये नामान्तरकरण सं. 613 दिनांक 30.03.1984 को गै0मु0 आबादी के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। इससे प्रकट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूमि विधिवत रूप से ग्राम पंचायत के हक में आबादी भूमि के रूप में दर्ज होने से



  
जिला कलेक्टर  
बाड़मेर

पूर्व ही अनियमित रूप से उक्त पट्टा विलेख जारी कर दिया गया है। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत आसोतरा की रिपोर्ट अनुसार आलौच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय में कोई रेकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है, न ही आलौच्य पट्टा में ग्राम पंचायत के किसी संकल्प का ही ब्यौरा अंकित है, ऐसे में बिना रेकॉर्ड का संधारण किये केवल पट्टा विलेख निष्पादित कर दिया है जो अपूर्ण कार्यवाही के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण सं. 2 के पक्ष में जारी किया गया आलौच्य पट्टा अवैध, अनियमित अथवा अपूर्ण प्रकृति का होने से बहाल रखा जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत आसोतरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा सं. 31 दिनांक 06.12.1975 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(हिमांशु गुप्ता)  
जिला कलक्टर, बाडमेर  
जिला कलक्टर  
बाडमेर